भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3367
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

नई शिक्षा नीति पर खर्च

†3367. **कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए विशेष बजट आवंटित किए हैं अथवा बजटीय प्रावधान में वृद्धि की है;
(ख) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनईपी के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूलों द्वारा संचालित विद्यालयों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है;
(ग) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनईपी के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी राशि खर्च की गई; और
(घ) विद्यालयों और महाविद्यालयों में एनईपी के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): इस विभाग की अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को पूरी तरह से एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है और इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बजट आवंटित किया जाता है।

वर्ष 2018 में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना है। एनईपी 2020 को लागू करने के लिए, समग्र शिक्षा योजना को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), निपुण भारत हेतु सहायता, सभी स्तरों पर गुणवत्ता और

नवाचार, समानता व समावेशन, व्यवसायपरक शिक्षा, आईसीटी और डिजिटल पहल आदि जैसी नई पहलों के साथ नया रूप दिया गया और इसे एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया।

विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित निधियां निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्से के रूप में आवंटित निधियां
2022-23	44493.94
2023-24	44813.41
2024-25	45830.21

एक और पहल के रूप में पीएम श्री योजना, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने और अपने पड़ोस के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ उनके लिए बेंचमार्क स्कूल बनने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएम-श्री समग्र शिक्षा के प्रयासों की पूरक है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हैं और समय के साथ उदाहरणपरक स्कूलों के रूप में उभरे हैं।

वर्ष 2023-24 से पीएम-श्री के तहत सरकार द्वारा आवंटित निधियां इस प्रकार हैं:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्से के रूप में आवंटित निधियां
2023-24	2520.46
2024-25	5921.71

(ग): उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 540.56 करोड़ रुपये

की राशि जारी की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 119.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(घ): एनईपी 2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन हेतु कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय, सीएबीई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, राज्य शिक्षा विभागों, बोर्डों, एनटीए, स्कूल और उच्च शिक्षा के नियामक निकायों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों सहित कई निकायों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना है। नीति में महत्वपूर्ण विषयों/उप-समूहों के लिए विभिन्न समयसीमाएं तथा इसके कार्यान्वयन हेतु सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन हेतु पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों को समावेशी और समान कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए “राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत)” विद्या-प्रवेश-तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल हेतु दिशानिर्देश; पीएम ई-विद्या डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करेगा ताकि शिक्षा तक सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम किया जा सके; दीक्षा (ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना) एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में जिसमें ई-पुस्तकें और ई-सामग्री होगी; 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित शिक्षण सामग्री हेतु फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) और जादुई पिटारा का शुभारंभ; परख (समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-साक्षरों को लक्षित करते हुए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि जैसी कई पहलें की गईं हैं।

इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में और इस कार्य में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संगठनों की सहायता हेतु स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा के लिए एक सांकेतिक और सुझावात्मक एनईपी कार्यान्वयन योजना ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों’ और ‘शिक्षकों की समग्र उन्नति (सार्थक)’ विकसित की है।

उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ); राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ); अवर स्नातक कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क; उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम में बहु प्रवेश और निकास; उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचालित करना; प्रत्येक छात्र का स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरूआत, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल को बढ़ाने और उनका पुनः कौशल विकास करने के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से डिग्री प्रदान करने तक उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्च शिक्षण संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों हेतु दिशानिर्देश और एक शैक्षणिक वर्ष में दो प्रवेश चक्रों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुमति देना; युगल उपाधि,संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग; विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने हेतु विनियम; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि; शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करना आदि जैसी विभिन्न पहलें/सुधार किए गए हैं।

*****